भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5568
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल

5568. श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री कुलदीप इंदौरा:
श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों में कामकाजी महिलाओं के लिए जिलावार आवासीय इकाई/हॉस्टल बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास इस योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के श्रीगंगानगर, टोंक सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़ जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में देश भर में कामकाजी महिलाओं के लिए राज्यवार कितने सरकारी हॉस्टल उपलब्ध हैं; और

(ङ) क्या उक्त जिलों में हॉस्टल के लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जिलों में हॉस्टलों के पूरा होने/संचालन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): सरकार कामकाजी महिलाओं और कार्यबल में शामिल होने की इच्छुक महिलाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और किफायती छात्रावास सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कामकाजी महिला छात्रावास श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं जो 'वीमेन-लेड डिवेलपमेंट' के विचार को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मिशन शक्ति के अंतर्गत सखी निवास योजना [कामकाजी महिला छात्रावास (डब्ल्यूडब्ल्यूएच)] एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है जहां राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी आवश्यकता का आकलन करते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा के बाद कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं और उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है, साथ ही शहरी, अर्ध-शहरी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, बच्चों के लिए डे केयर सुविधा भी उपलब्ध कराना है। इस योजना में किराये के आधार पर निधि प्रदान की जाती है। नए ग्रीनफील्ड निर्माण को बंद कर दिया गया है।

तथापि, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 28 राज्यों को डब्ल्यूडब्ल्यूएच के ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए 5000.00 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अपनी जरूरतों और आवश्यकताओं का आकलन करने के बाद, 28 राज्यों ने व्यय विभाग को डब्ल्यूडब्ल्यूएच के निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। प्रस्तावों के आधार पर, व्यय विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूएच के निर्माण के लिए 28 राज्यों को पहली किस्त जारी कर दी है।

निर्भया कोष के ढांचे के अंतर्गत अधिकार प्राप्त समिति ने भी उत्तराखंड में 7, उत्तर प्रदेश में 3, नागालैंड में 7, पंजाब में 1, तमिलनाडु में 3 और दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए 1 डब्ल्यूडब्ल्यूएच के ग्रीनफील्ड निर्माण का मूल्यांकन किया है।

राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एसएएससीआई योजना के तहत 41 जिलों में डब्ल्यूडब्ल्यूएच के निर्माण के लिए व्यय विभाग को 165.32 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इन 41 जिलों में श्रीगंगानगर, टोंक, सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़ जिले शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उन्हें 109.11 करोड़ रुपये की पहली किस्त प्राप्त हो गई है। राज्य सरकार द्वारा यह भी सूचित किया है कि इन चार जिलों में 50 बिस्तरों वाले डब्ल्यूडब्ल्यूएच के निर्माण के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है।

वर्तमान में देश भर में 523 सखी निवास कार्यशील हैं और राज्यवार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

xxxxx

अनुलग्नक- I

'कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल' विषय के संबंध में श्री दामोदर अग्रवाल, श्री कुलदीप इंदौरा और श्री हरीश चंद्र मीना, माननीय संसद सदस्यों (एलएस) द्वारा उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5568 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

कार्यशील सखी निवास (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील सखी निवास (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	05
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	00
4.	असम	10
5.	बिहार	00
6.	चंडीगढ़	06
7.	छत्तीसगढ़	06
8.	दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	00
9.	दिल्ली	15
10.	गोवा	00
11।	गुजरात	14
12.	हरियाणा	07
13.	हिमाचल प्रदेश	06
14.	जम्मू और कश्मीर	01
15.	झारखंड	02
16.	कर्नाटक	62
17.	केरल	138
18.	लद्दाख	00
19.	लक्षद्वीप	00
20.	मध्य प्रदेश	02
21.	महाराष्ट्र	74
22.	मणिपुर	18
23.	मेघालय	04

24.	मिजोरम	03
25.	नागालैंड	11
26.	ओडिशा	11
27.	पुदुचेरी	04
28.	पंजाब	00
29.	राजस्थान	15
30.	सिक्किम	01
31.	तमिलनाडु	60
32.	तेलंगाना	17
33.	त्रिपुरा	00
34.	उत्तराखंड	00
35.	उत्तर प्रदेश	08
36.	पश्चिम बंगाल	00
कुल*		**523**

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

xxxxx